

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प. 3(2)नविवि / 11/2024

जयपुर, दिनांक

14 MAR 2024

:: आदेश ::

राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 21 के अनुसरण में इस विषय पर प्रसारित समस्त आदेशों का अतिलंघन करते हुए एतद्वारा आदेश दिये जाते हैं कि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के कार्य संचालन के मामले इस विभाग के अधिकारियों द्वारा इस आदेश की दिनांक से निम्न विवरण में दिखाये गये निर्धारण के अनुसार निपटाए जावेंगे:-

क्र.सं.	कार्य	जिसके द्वारा कार्य का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा कार्य निपटाया जावेगा	अंतिम प्रस्तुती / निर्णय एवं अधिकार
1. विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त संवर्गों के राजपत्रित अधिकारियों के संस्थापन संबंधित मामले:-				
क.	पदों का सृजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	प्रारम्भिक नियुक्तियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ग.	अस्थाई पदों का समय बढ़ाना एवं आंशिक वेतन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
घ.	पदोन्नतियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ङ.	त्याग-पत्र	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री (विभागाध्यक्षों के मामलों में)
च.	स्थानान्तरण व अनुशासनात्मक कार्यवाही	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
छ.	अधिवार्षिकी प्राप्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्तियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ज.	अग्रिम वेतन-वृद्धि	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
	उच्चतर स्थरीकरण प्रदान करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
झ.	स्थाईकरण:-	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
	1. विभागाध्यक्ष से भिन्न 2. विभागाध्यक्ष	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ञ.	वरिष्ठता नियतन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ट.	एपीओ अवधि का नियमितिकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

डा. अरवि सिंह खर्रा
राज्यमंत्री (स्वतंत्र विभाग)
13/03/2024

2. विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त संवर्गों के अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग से संबंधित संस्थापन के मामले:—

क.	पदों का सृजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	प्रारम्भिक नियुक्तियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ग.	अस्थायी पदों का समय बढ़ाना एवं नियुक्तियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
घ.	पदोन्नतियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ङ.	त्याग-पत्र	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
च.	स्थानान्तरण व अनुशासनात्मक कार्यवाही	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
छ.	अधिवार्षिकी प्राप्त व्यक्तियों की पुनः नियुक्तियाँ	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ज.	अग्रिम वेतन-वृद्धि, उच्चतर स्थरीकरण प्रदान करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
झ.	स्थाईकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ञ.	वरिष्ठता नियतन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ट.	एपीओ अवधि का नियमितिकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

3. नगर नियोजन संबंधी संस्थापन मामले:—

क.	उप / संयुक्त सचिव / विभागाध्यक्ष के आदेशों की अपील या पुनरवलोकन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच के आदेश	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ग.	राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध निलम्बन और अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की कार्मिक विभाग का संदर्भ	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
घ.	अराजपत्रित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

4. अवकाश स्वीकृति संबंधी मामले:-				
क.	अनुभाग के समस्त अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग का आकस्मिक एवं उपार्जित अवकाश	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव
ख.	विभागाध्यक्षों के सभी प्रकार के अवकाश	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री (यदि अवकाश एक माह से अधिक हो)
ग.	अन्य राजपत्रित अधिकारियों के सभी प्रकार के अवकाश	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
5. राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अधीन विशेष वेतन/भत्ते अनुदत्त करना				
5.	राजस्थान सेवा नियम 35 एवं 50 के अधीन विशेष वेतन/भत्ते अनुदत्त करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
6. देश के बाहर यात्रा करने की स्वीकृति:-				
क.	विभागाध्यक्ष	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	राजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ग.	अराजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
7. 60 दिन से अधिक के विराम के लिए मंजूरी:-				
क.	विभागाध्यक्ष	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	राजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ग.	अराजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
8. राजस्थान के भीतर उच्च अध्ययन एवं अनुसंधान:-				
क.	राजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
9.	पेंशन तथा उपादान बीमा इत्यादि के मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
10.	सेवा व्यतिक्रम और सेवाकाल में कमी की उपादेयता	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
11.	मकान किराया भत्ता	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

डा. अरवि सिंह खत्री
राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

13/10/2024

12.	अधीनस्थ / लिपिक संवर्ग से राजपत्रित संवर्ग में पदोन्नति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
13.	विभागीय परीक्षाएं लेखा	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
14. विदेश सेवा में प्रतिनियुक्ति:-				
क.	राजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
ख.	अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
15.	प्रकाशनों, सुझावों और योजनाओं इत्यादि के लिये विभिन्न पुरस्कार (अवार्ड) अनुदत्त करना।	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
16. कार्यग्रहण विस्तार की मंजूरी:-				
क.	राजपत्रित अधिकारी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ख.	अराजपत्रित कर्मचारी वर्ग	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
17. वित्त और योजना संबंधित मामले:-				
क.	भवन किराये पर लेना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ख.	काल तिरोहित दावे	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
18. भण्डार उपकरण और फर्नीचर इत्यादि का क्रय:-				
क.	20 लाख रुपये तक	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
ख.	25 लाख रुपये से ऊपर	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
19.	आय व्ययक तथा नवीन व्यय के लिये प्रस्ताव	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
20.	एक ही शीर्ष के अन्तर्गत एक उप शीर्ष से दूसरे उप शीर्ष के पुनर्विनियोग	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव (रु. 5000/- तक)	मंत्री
21.	कार्यों के लिये प्रशासनिक स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
22.	प्रतिदाय रिफण्ड के मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
23.	गबन और चोरी के मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
24.	हानि का अपलेखन (राइट ऑफ)	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

25.	कार्यालय फर्नीचर किराये पर लेना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
26.	अंकक्षण प्रतिवेदन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
27.	दावों का निपटारा	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव (प्रकरण 50 लाख से अधिक होने की स्थिति में मंत्री)
28.	समस्त विभागों को विभिन्न योजनाओं के बारे में अग्रिम	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
29.	सरकारी कर्मचारी को अग्रिम	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
30.	निजी संगठनों को ऋण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
31.	योजनाओं को चालू करना एवं अवधि बढ़ाना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री (वित्त विभाग भेजे जाने वाले प्रकरणों में)
32.	नई योजनाएँ (प्लान योजना सहित)	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
33.	अनुदान आवंटन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
34.	संविदा एवं पट्टे	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
35.	(क) सहायता अनुदान सहायिकी अनुदान सब्सिडी और प्रतिकार (ख) तदर्थ अनुदान	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव संयुक्त शासन सचिव	मंत्री प्रमुख शासन सचिव
36.	ईनाम और मानदेय	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
37.	भूमियों का अर्जन तथा क्रय	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
38.	सरकारी संपत्तियों का बीमा	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
39.	दान / खेरात / विन्यास इत्यादि	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
40.	ड्राफ्ट पैरा	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
41.	शक्तियों का प्रत्योजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री (यदि किसी विभागाध्यक्ष को शक्तियों के प्रस्ताव अंतर्हित हों)

42.	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
43.	सांख्यिकी एवं सामयिकी विवरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
44.	(क) विभागाध्यक्ष द्वारा दौरे	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
	(ख) अन्य अधिकारी के दौरे	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
कॉन्फ्रेंस, समितियों, मेलों, प्रदर्शनियां, सूचना एवं प्रचार :-				
45.	मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, केम्पों इत्यादि का आयोजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
46.	विज्ञापन और प्रेस प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
47.	सरकारी दस्तावेजों और पुस्तिकाओं का प्रकाशन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
48.	सरकारी सत्यापित प्रतियां	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
49.	विधानसभा की समितियों के अलावा समितियों का प्रतिवेदन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
50.	मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
51.	सरकार की ओर से मिटिंग और कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिये प्रतिनिधियों का मनोनयन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
विधानसभा एवं संसद:-				
52.	(क) विधानसभा प्रश्न (तारांकित व अतारांकित प्रश्न)	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
53.	संसद प्रश्न	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
54.	न्यायालयों के संचालन के लिये विशिष्ट अधिकारियों की नियुक्ति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त / उप विधि परामर्शी / संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
55.	नया विधान निर्माण विद्यमान विधानों में संशोधन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त विधि परामर्शी / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
56.	विधानसभा की समितियों की सिफारिशों / निर्देशों पर कार्यवाही (यथा लोक लेखा समिति, लोक / प्राक्कलन समिति पी.ए.सी. आश्वासन समितियां)	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

वाद-लिटिगेशन:-				
57.	अभियोजन एवं मामलों की वापसी	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
58.	शासन के द्वारा / विरुद्ध वादों के मामलों	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त / उप विधि परामर्शी / संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार न्यासों से संबंधित मामलों:-				
59.	अध्यक्ष की नियुक्ति, उनको हटाना तथा त्याग पत्र स्वीकृत करना।	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
60.	न्यासियों, सदस्यों की नियुक्तियां एवं हटाना तथा त्याग पत्र स्वीकृत करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
61.	विदेश प्रशिक्षण / अध्ययन एवं अनुसंधान आदि सहायक अभियन्ता एवं अन्य राजपत्रित अधिकारियों के लिये	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
62.	सभी संवर्ग के अभियन्ता एवं अन्य राजपत्रित, अराजपत्रित अधिकारी / कर्मचारियों का एक न्यास / आवासन मण्डल / प्राधिकरण से दूसरे न्यास / आवासन मण्डल एवं प्राधिकरण में स्थानान्तरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
63.	स्वीकृत पदों में समयवधि में वृद्धि करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
64.	नगर नियोजन एवं न्यासों में पेंशन आदि के मामलों	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
वित्तीय एवं लेखा संबंधित मामलों:-				
65.	बजट एवं नवीन व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
66.	स्वीकृत बजट में आंशिक संशोधन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
67.	लेखा एवं ऑडिट आक्षेप संबंधी मामलों में विभागीय टिप्पणी स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
68.	न्यास में हुई आर्थिक हानि एवं अपलेखन संबंधित मामलों	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
69.	ऋण प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

13/03/2024

70.	निविदाओं की स्वीकृति (04 करोड से अधिक)	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
मास्टर डवलपमेन्ट प्लान संबंधी मामले:-				
71.	मास्टर प्लान बनाने हेतु न्यास अधिनियम की धारा 3(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रकाशित करना	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
72.	मास्टर प्लान का अनुमोदन	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
73.	मास्टर प्लान की सलाहकार समिति का गठन	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
74.	प्रारूप मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू-उपयोग में परिवर्तन	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
75.	स्वीकृत मास्टर प्लान में दर्शाये गये भू उपयोग में परिवर्तन	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
योजनाओं/स्कीमों संबंधी मामले:-				
76.	नगर सुधार न्यासों की योजनाओं की धारा 32(1) के अन्तर्गत प्रसारित करना विज्ञप्ति	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
77.	नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 32(2) के अन्तर्गत योजना की समयावधि में वृद्धि करना	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
78.	नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 30 के अन्तर्गत योजना को स्वीकृति	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
79.	स्वीकृत योजना की समयावधि में वृद्धि	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
80.	नगर सुधार न्यास अधिनियम की धारा 60 (1)(ब) के अन्तर्गत भूमि आवंटन की स्वीकृति	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/ प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

राजस्थान आवासन मण्डल से संबंधित मामले:-

(क) सेवाएं:-

81.	अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, उनको हटाये जाने एवं उनके कार्यकाल में वृद्धि	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
82.	मण्डल के सेवा नियमों के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित पदों का सृजन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
83.	आवासन मण्डल में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं समयावधि बढ़ाने संबंधी मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

(ख) वित्तीय एवं अन्य विधिक मामलें:-

84.	बजट एवं नवीन व्यय के प्रस्ताव का अनुमोदन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
85.	योजना के लिये ऋण प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
86.	सम्पत्ति निष्पादन विनियम 8 (ए) के अन्तर्गत मकानों का आवंटन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
87.	राजस्थान आवासन मण्डल की धारा 60 के अन्तर्गत निर्देशन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
88.	राजस्थान आवासन मण्डल की विनियमों की स्वीकृति एवं उनमें संशोधन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
89.	हानि का उपलेखन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
90.	निविदाओं की स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

समस्त नगर विकास न्यासों, अजमेर / जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल एवं नगर नियोजन विभाग से संबंधित अन्य मामलें:-

91.	सरकार द्वारा विभिन्न न्यायालयों में परिवाद, अपील, पुनर्विचार, पुनरवलोकन करने की स्वीकृति	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त / उप विधि परामर्शी / संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
92.	सरकार से संबंधित विभिन्न न्यायालयों में	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त / उप विधि परामर्शी / संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

	प्रस्तुत परिवाद, अपील, पुनर्विचार एवं पुनरवलोकन के मामलों में ऑफिसर इन्चार्ज नियुक्त करने एवं राजकीय अधिवक्ताओं के निर्धारित पैनल में से अधिवक्ता की नियुक्ति			
93.	विभाग में अधिवक्ताओं की नियुक्ति/पैनल गठन संबंधी प्रकरण	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
94.	प्री-लिटिगेशन प्रकरण	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त/उप विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
95.	विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत नियम बनाने एवं उनमें संशोधन करने सम्बन्धी	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त/उप विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
96.	अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/न्यासों/आवासन मण्डल के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतों के मामलों में कार्यवाही	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री/मुख्यमंत्री
97.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की योजनाओं से सम्बन्धित मामले	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री (नीति विषयक मामले)
98.	नगर नियोजन से सम्बन्धित विशेष प्रकार की योजनाएँ	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
99.	कच्ची बस्तियों से सम्बन्धित मामले	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
100.	एकीकृत विकास योजना सम्बन्धी मामले	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
101.	भूमि अवाप्ति एवं अवाप्तशुदा भूमि का अवार्ड स्वीकृत करना	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
102.	भूमि आवंटन एवं भूखण्डों का नियमन	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
103.	नगरीय भूमि अधिकतम	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री

डा. ब. सिंह खरा
शासक (स्वातंत्र्य प्रसार)
13/03/2024

	सीमा की धारा 20 के अन्तर्गत छूट दिये जाने के मामलों			
104.	विकास प्राधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध अपील आदि की सुनवाई	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
105.	नगर भूमि अधिकतम सीमा सम्बन्धित मामलों / अधिनियम की धारा 34 के लम्बित मामलों में सुनवाई	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
कार्य विधि नियमावली के नियम 31 के प्रावधानों एवं नियम 8 के अंतर्गत द्वितीय अनुसूची में वर्णित विभागों से संबंधित प्रकरणों का अंतिम रूप से निपटारा:-				
106.	नीति निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
107.	राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों को सेवा से हटाना / बर्खास्तगी / अनिवार्य सेवानिवृत्ति सम्बन्धी प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
108.	अवाप्तधीन एवं अवाप्तशुदा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने सम्बन्धी प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
109.	न्यास / राजस्थान आवासन मण्डल / जयपुर विकास प्राधिकरण में गठित समितियों में मनोनयन से संबंधित प्रकरण व मानद नियुक्तियाँ	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
110.	विभागाध्यक्षों की नियुक्ति / स्थाईकरण / पदस्थापन सम्बन्धी प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
111.	अन्तर्राज्य महत्व के प्रकरण एवं भारत सरकार से सम्बन्धित महत्वपूर्ण प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री / मुख्यमंत्री
विविध:-				
112.	राजस्थान रीयल स्टेट रेगुलरिटी अधोरिटी (RERA) से संबंधित समस्त नीतिगत प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
113.	राजस्थान रीयल स्टेट रेगुलरिटी अधोरिटी (RERA) से संबंधित समस्त प्रशासनिक प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव

जाबर सिंह खर्वा
राज्यमंत्री
13/07/21

114.	राजस्थान रीयल स्टेट रेगुलरिटी अथोरिटी (RERA) में अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रकरण	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री/मुख्यमंत्री
115.	रेरा में अध्यक्ष/सदस्यों के अलावा नियुक्ति प्रदान करना	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
116.	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता से संबंधित समस्त प्रकरण	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
117.	प्रशासनिक सेटअप, पुनर्गठन एवं परिवर्तन	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
118.	पिटीशन	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त/उप विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव
119.	विभागीय मैनुवूल नियम (सेवा नियमों सहित) नये नियम बनाना/संशोधन एवं व्याख्या करना	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त/उप विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
120.	कार्मिक विभाग की शर्तों के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति के मामले	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री
121.	विभाग में राजपत्रित अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन	अनुभागाधिकारी/सहायक शासन सचिव	संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव	मंत्री


नोट:- निम्न प्रकरणों की पत्रावलियाँ प्रमुख शासन सचिव, नगरीय शासन विभाग के माध्यम से प्रस्तुत की जावेगी:-

- महत्वपूर्ण योजनाओं व कार्यक्रम।
- नियमों/वर्तमान विधानों में संशोधन, नये विधान निर्माण।
- महत्वपूर्ण अन्तर विभागीय मामले।
- विभागाध्यक्ष से सम्बन्धित मामले।
- मंत्रीमण्डल ज्ञापन।

- विभागीय मंत्री महोदय की मुख्यालय से अनुपस्थिति में मामलों का निस्तारण प्रमुख शासन सचिव द्वारा किया जावेगा, जिसमें यह आवश्यक समझा जावेगा कि विभागीय मंत्री महोदय की प्रतीक्षा के बिना निस्तारण करना आवश्यक है।
- प्रमुख शासन सचिव की अनुपस्थिति में दैनिक मामलों का निस्तारण इस आदेश के अनुसार संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव द्वारा किया जावेगा।


डाक्टर सिंह खरा
 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 12/03/2024

3. संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त शासन सचिव की अनुपस्थिति में मामलों का निस्तारण इस आदेश के अनुसार ग्रुप अधिकारी द्वारा किया जावेगा।
4. सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी की परिभाषा में उनको आवंटित कार्यक्षेत्र में उप विधि परामर्शी, उप नगर नियोजक, सहायक विधि परामर्शी, सहायक लेखाधिकारी एवं लेखाधिकारी भी सम्मिलित है।
5. ऐसे मामलों, जो कि बिना विलम्ब व उच्च अधिकारी की प्रतीक्षा के जल्दी किये जाने आवश्यक हो, उन्हें उच्चाधिकारी के आने पर उनके अवलोकनार्थ पुष्टि हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।
6. विभागीय मंत्री को उन मामलों के अलावा जो अधिकृत कर रखे हैं शेष समस्त मामलों को प्रमुख शासन सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा।
7. राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 से सम्बन्धित प्रकरण अनुमोदन हेतु विभागीय मंत्री को प्रस्तुत किये जायेंगे।
8. नियमों, उप नियमों तथा नीतिगत बिन्दुओं के पूर्व से विद्यमान प्रावधानों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्रमुख शासन सचिव एवं नये प्रावधानों के संबंध में विभागीय प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जारी किये जायेंगे।


 (झाबर सिंह खरी)
 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार जयपुर।
6. निजी सहायक, संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय
7. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, नविवि
8. उप शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग (मय दो प्रतियों के)।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नविवि
10. समस्त सहायक शासन सचिव/अनुभागाधिकारी, नगरीय विकास विभाग।
11. उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/मंत्री मण्डल सचिवालय, जयपुर।
12. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. संबंधित समस्त अधिकारी/कार्मिक, नविवि
15. रक्षित पत्रावली।


 (टी. रविकान्त)
 प्रमुख शासन सचिव,
 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग